

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत

देशान्तर केंद्र

नियम

ग्रा.पंचायत गोपडी

किरम मुकदमा

21/136 RLR cell

बनाम

नं. 742

सन

2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/18	<p>पत्रावली- प्राचीनी जी और शे ग्राम पंचायत गोपडी में राजस्व लोन अदालत में प्रस्तुत की पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड है।</p> <p>प्राचीनी ने प्राचीन पत्र के अन्तर्गत मिठा की सरहद मौजा गोपडी में आव्यधित 100/100 202 रकबा 13 बीघा 11 धिन्वा प्राचीनी के स्वातेदारी की है। इम्ल भूमि के मूल रकबा 17 बीघा 11 धिन्वा 4 बीघा भूमि विपुली सरहद। ग्राम पंचायत के नाम दर्ज की गयी। मिथमी सरहद रजिस्टर्ड के अन्तर दर्ज करते समय अद्युक्त कर की गयी। धिन्वा दुरुस्ती करना -पाथहित में आवश्यक है।</p> <p>प्राचीनी के प्राचीन पत्र पर विपुली सरहद -1 सरहद ग्राम पंचायत गोपडी ने अनापति जोश की मिठा पर पत्थारी पत्थार हम्ब गोपडी से लपा 8112-8113 पत्थार व 738 पत्थार के रिपोर्ट प्राचीनी की। पत्थारी, आर-आई ने</p>	

जिलाधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैंप-2018
उपस्थित अधिकारी एवं उनके उपायक कलेक्टर
शालीपुर कैंप

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशयल्य जज

अहकाम
की तामील म

अपने रिपोर्ट में बताया की धूम्र
श्रीम पर स्वाती है। तथा मिश्री
ने तरमीम इस्ती करने में सहाती
प्रदान की है।

आजमे आम आम पंजापत गोपनी
में उपचित दोनों पक्षों को सुना
फावली रेकर्ड रिपोर्ट का अवलोकन
व इत्यपन किया।

धूम्र प्राथमी ने जो प्रकरण तरमीम
इस्ती का प्रस्तुत किया है उसमें
मिश्री स्वातेयर आम पंजापत ने
सहाती प्रदान की है। तथा इसके
अलावा जमावटी में हिस्से आवन
कोई स्वराज नहीं है। आम नगशा
लक्ष्मण दूध वर्तमान तरमीम में
इजात करने के अनुलोष हेतु
प्रस्तुत किया है।

इस बार उपरोक्त विवेचन
प्राप्ति पर धारा 131, 136 PCR
व्य में प्राथमी ~~की~~ स्वीकार कर
श. नं. 203, 399/202 गौजा गोपनी
की वर्तमान तरमीम को इस्ती
करने हेतु आदेश दिया जाता है।
नगशा लक्ष्मण दूध में प्राप्ति पर के
संलग्न प्रस्तुत नगशा प्रस्तावित नगशा
इजात तरमीम इस्ती करने के आदेश
दिए जाते हैं। पत्रावली क्षेत्र सुभाषकर
राक्षीत 4 पत्र है।

(भागीरथ राम)

भागीरथ अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....